


04.07.2024

पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थीगण  
श्री विरमाराम चौधरी ने मूल नामान्तरण  
अपील में राजीनामा दी जाने से, प्रार्थीगण  
संख्या 1 ता 5 की ओर से प्रकरण  
को जरिये विद्वांस खारिज फरमाने  
हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस  
पर सुना जाकर मूल नामान्तरण  
अपील जरिये विद्वांस खारिज की  
जा चुकी है। इसलिए उपरोक्त स्थगन  
प्रार्थना-पत्र को आगे चलाये जाने का  
कोई औचित्य नहीं है। स्थगन प्रार्थना  
पत्र जरिये विद्वांस खारिज किया  
जाता है।

  
(आदेश नुसार  
प्राथीगण: 3)  
जतिपत बजाज  
रबफ ल



अतिरिक्त जिला कलक्टर  
कुचावन सिटी

